एम.पी. राज्य बिजली बोर्ड और अन्य

बनाम

ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड,

12 नवम्बर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और आर.वी. रवीन्द्रन, जेजे.]

बिजली आपूर्ति अधिनियम, 1948; धारा 26, 49, 79(एफ)

बिजली बोर्ड द्वारा प्रतिभूति जमा पर ब्याज के भुगतान के प्रावधान को हटाना - अनुज्ञेयता -एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि यह अनुज्ञेय था - उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अभिनिर्धारित किया कि एकल न्यायाधीश का मत **फेरो अलॉयज मामला** के फैसले के अनुच्छेद 158 पर आधारित था जो सही नही था-अपील-पर-अभिनिर्धारित- डिवीजन बेंच ने निर्णय के अनुच्छेद 158 का केवल भाग पढ़ा न कि प्रासंगिक भाग जो बोर्ड को ऐसी शर्त को हटाने का अधिकार देता है-मामला नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया - बिजली अधिनियम, 1910-अनुसूची II खंड (6), खंड 21(एफ) और 21(जी)।

उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता बोर्ड के खंड 21 (एफ) और 21 (जी) को हटाने की कार्यवाही जो बिजली ऊर्जा की आपूर्ति और बिक्री के सामान्य शर्तें विविध और सामान्य शुल्क से और प्रतिभूति जमा पर ब्याज के भुगतान के लिए समझौता से संबंधित हैं को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने माना कि ऐसा करना अनुज्ञेय था। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना कि फेरो

अलॉयज मामले में फैसले के अनुच्छेद 158 के आधार पर एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण सही नहीं था।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता-बोर्ड ने तर्क दिया कि डिवीजन बेंच ने फैसले के अनुच्छेद 158 का केवल एक हिस्सा पढ़ा है, और न कि प्रासंगिक हिस्सा जो बोर्ड को ऐसी शर्त को हटाने का अधिकार देता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए मामले को उच्च न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु भेजा कर अभिनिर्धारित किया कि:

1. फेरो अलॉयज मामले में फैसले के अनुच्छेद 158 को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि बोर्ड को प्रतिभूति जमा पर ब्याज के भुगतान या अन्यथा की वांछनीयता से संबंधित निर्णय लेने की अनुमति है। [पैरा 8] [1065-ए, बी]

2. प्रत्येक अपीलकर्ता- बिजली बोर्ड भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ मे एक राज्य है। बोर्ड लाइसेंसधारियों से भिन्न हैं। प्रत्येक बोर्ड ने आपूर्ति के नियम और शर्तें का स्वयं का अपना ढांचा तैयार किया है ऐसी ही एक शर्त प्रतिभूति जमा से जुड़ी है। ऐसी जमा राशि बोर्ड दर बोर्ड अलग-अलग होती है। [पैरा 9] [1065-बी, सी]

3. बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 बिजली अधिनियम, 1910 का पूरक है। आपूर्ति अधिनियम की धारा 26 में कहा गया है कि बोर्ड के पास बिजली अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी के सभी शक्तियां और दायित्व होंगे। बिजली आपूर्ति अधिनियम की धारा 49 सपठित धारा 79 (जे) की शक्तियों के प्रयोग में बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के तहत, बोर्ड का दायित्व है कि वह विनियमोंमें निर्धारित नियमों और शर्तों पर उपभोक्ता को ऊर्जा की आपूर्ति करे। इसलिए, यदि, विनियमोंमें ने एक प्रतिभूति जमा निर्धारित किया है तो उसका अनुपालन करना होगा। बिजली अधिनियम, की अनुसूची ॥

के खंड (6) के तहत, पर्याप्त प्रतिभूति के साथ एक लिखित अनुबंध निष्पादित होने के बाद बोर्ड द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति की मांग प्रावधान (ए) के तहत की जानी है। यह, विनियमों के साथ मिलकर इसे कानूनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसे मामलों में जहां विनियम नहीं बनाए गए हैं, बिजली अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का नियम 27 आपूर्ति की मसौदा शर्तों के मॉडल रूप को अपनाने में सक्षम बनाता है। खंड 14 के परिशिष्ट VI में कहा गया है कि लाइसेंसधारी किसी भी उपभोक्ता को आपूर्ति की गई ऊर्जा के मासिक बिलों के भुगतान और उसके परिसर में स्थापित मीटर और अन्य उपकरण के मूल्य के प्रतिभूति जमा करने की मांग कर सकता है। इस प्रकार, बोर्ड के पास उपभोक्ताओं से प्रतिभूति की मांग करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। [पैरा 10] [1065-डी, ई, एफ, जी; 1066-ए]

4. हालांकि जमा जिसे प्रतिभूति जमा कहा जाता है, यह वास्तव में उपभोग शुल्क का एक समायोज्य अग्रिम भुगतान है । भुगतान, आपूर्ति की शर्तों की व्याख्या करने वाले समझौते के अनुसार है। यह प्रतिभूति शुल्क समय-समय पर किसी अवधि विशेष में वास्तविक खपत के औसत खपत के आधार पर पुनरीक्षण योग्य होती है। सभी बोर्डों के संदर्भ में ऊर्जा आपूर्ति की शर्तों के तहत यही स्थिति है। बिजली की आपूर्ति के लिए बोर्ड को उत्पादन, आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति के लिए आवश्यक अन्य शुल्कों के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए यह विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लेती है। [पैरा 11, 12 और 13] [1066-बी, सी]

5. जाहिर है, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने प्रतिभूति जमा पर भुगतान के प्रावधानों को हटाने की अनुमति के संबंध में इस न्यायालय की रेखांकित टिप्पणियों के प्रभाव पर विचार नहीं किया है, जैसा कि उक्त अनुच्छेद 158 में बताया गया है। इसका निर्णय प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर किया जाना है। एकल न्यायाधीश के

आदेश में, जिसने एलपीए में चुनौती का विषय बनाया, एकल न्यायाधीश द्वारा कुछ तथ्यात्मक निष्कर्ष निकाले गए हैं। डिवीजन बेंच ने इस दृष्टिकोण की स्वीकार्यता या अन्यथा पर विचार नहीं किया है और इस प्रकिया को अपनाने की अनुमति के लिए संबंधित रेखांकित भाग को नजरअंदाज करते हुए यह मानने के लिए कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, केवल अनुच्छेद 158 का उल्लेख किया है । [पैरा 15] [1067-बी, सी, डी]

*फेरो अलॉयज कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम ए.पी. राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य, [1993] पूरक 4 एससीसी 136, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1019/2006।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ के 1996 की रिट याचिका संख्या 751 (107/99) में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 9.10.2003 से।

साथ

2006 की सी.ए. संख्या 1026-1034 और 3223।

एम.एल. वर्मा, सी.एस. वैद्यनाथन, एम.एल. जयसवाल, ए.के. चितले और कैलाश वासदेव, प्रकाश श्रीवास्तव, अक्षत श्रीवास्तव, प्रदीप्ति श्रीवास्तव, मितेन महापात्रा, साकेश कुमार., रोहित सिंह, धर्मेंद्र ए कुमार सिन्हा, एम.आर. विज, नीरज शर्मा, प्रवीण कुमार, के.वी. विश्वनाथन, विक्रम बजाज, संजीव कुमार, विशाल गुप्ता (खेतान एंड कंपनी के लिए), एस.के. वर्मा, सुशील कुमार जैन, संजय ग्रोवर और निकिलेश आर. (टेम्पल लॉ फर्म के लिए) उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय डॉ अरिजीत पसायत, जे. सुनाया गया।

1. प्रत्येक अपील में प्रत्येक मामले मे उत्तरदाताओं द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील/रिट याचिकाओं में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर बेंच की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। सीए नं. 1033 और 1034/2006 को विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति के साथ दायर किया गया है। यह देखने योग्य है कि दायर रिट याचिकाओं की अनुमति देते समय, उच्च न्यायालय ने ग्रासिम सीमेंट, रायपुर द्वारा लेटर्स पेटेंट के खंड 10, यानी 1997 के एलपीए 20207 के तहत दायर लेटर्स पेटेंट अपील में दिए गए फैसले पर भरोसा किया। जहां लेटर्स पेटेंट अपील दायर की गई थी, वहां एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता-बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया था।

2. दायर रिट याचिकाओं में चुनौती, जो बिजली ऊर्जा की आपूर्ति के लिए बोर्ड की सामान्य शर्तों और विविध बिक्री और सामान्य शुल्क से संबंधित खंड 21 (एफ) और 21 (जी) को हटाने में अपीलकर्ता-बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई की अवैधता से संबंधित थी। ये प्रतिभूति जमा पर ब्याज के भुगतान के समझौते से संबंधित हैं। अधिसूचना दिनांक 24.1.1996 है। उन मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीश ने, जो लेटर्स पेटेंट अपील के विषय थे, माना कि ऐसी कार्यप्रणाली स्वीकार्य था। इस उद्देश्य के लिए फेरो अलॉयज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ए.पी. राज्य बिजली बोर्ड और अन्य, [1993] पूरक 4 एससीसी 136 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया था। अपील और रिट याचिकाओं पर निर्णय लेते समय, डिवीजन बेंच ने माना कि विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण सही नहीं है और इस उद्देश्य के लिए फ़ेरो अलॉयज़ मामले (सुप्रा) में निर्णय के पैराग्राफ 158 पर भरोसा किया गया है।

3. अपीलकर्ता-बोर्ड के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी.एस. वैद्यनाथन ने तर्क प्रस्तुत किया कि डिवीजन बेंच ने फैसले के पैराग्राफ 158 का केवल एक हिस्सा पढ़ा, न कि प्रासंगिक हिस्सा जो बोर्ड को ऐसी शर्त को हटाने का अधिकार देता है।

4. यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिसूचना दिनांक 24/1/1996 बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (संक्षेप में 'आपूर्ति अधिनियम') की धारा 49 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने पाया कि इस न्यायालय ने अनुच्छेद 158 में स्पष्ट रूप से प्रतिभूति जमा पर ब्याज की देयता से संबंधित शर्त को हटाने की शक्ति की कमी का उल्लेख किया है।

6. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फेरॉय अलॉय मामले (सुप्रा) में, यह न्यायालय विभिन्न राज्यों में उपभोक्ताओं की दो श्रेणियों से निपट रहा था। एक श्रेणी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के लिए बोर्ड के नियमों से संबंधित थी, जहां ब्याज के भुगतान का प्रावधान था। कुछ अन्य राज्यों जैसे राजस्थान और उड़ीसा के संबंध में, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 143 और 145 में माना कि जहां ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है, वह अवैध नहीं है। हमें उस श्रेणी के मामलों से कोई सरोकार नहीं है।

7. चूँकि इन अपीलों का भाग्य मुख्य रूप से इस न्यायालय द्वारा फेरो अलॉयज मामले (सुप्रा) में अनुच्छेद 158 में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, इसलिए इस अनुच्छेद पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह इस प्रकार है:

> "उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, ब्याज का भुगतान न करने संबंधित खंड को कायम रखते हुए, उदाहरण के लिए, राजस्थान और

उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उन मामलों का क्या होगा जहां ब्याज प्रदान किया जाता है? उन सभी मामलों में जहां बिजली बोर्डों ने अपने वित्त को निर्धारित दर पर समायोजित करने के बाद ब्याज के भुगतान का प्रावधान किया है, उन्हें ऐसे खंड को हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ब्याज का प्रावधान विभिन्न बोर्डों द्वारा समग्र बजटीय और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए और प्रतिभूति जमा की मात्रा और मोड और बिलिंग और वसूली प्रथा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। न ही दोबारा, बोर्ड इस फैसले के आधार पर ब्याज का भुगतान रोक सकता है। हालाँकि, यदि बजटीय और वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है, तो बोर्ड मामले की जांच कर सकता है और भविष्य की कार्रवाई तय कर सकता है। लेकिन भुगतान न करने या ब्याज में कमी के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी बदलाव को प्रत्येक बोर्ड की वित्तीय स्थिति और प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर असर डालने वाले ठोस कारणों और सामग्रियों द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए।"

(जोर देने के लिए रेखांकित)

8. निर्विवाद रूप से ऊपर उद्धृत अनुच्छेद 158 का एक मात्र वाचन दर्शाता है कि बोर्ड को प्रतिभूति जमा पर ब्याज के भुगतान के लिए या अन्यथा वांछनीयता से संबंधित निर्णय लेने की अनुमति है।

9. हमारे सामने प्रत्येक बिजली बोर्ड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ मे एक राज्य है । बोर्ड लाइसेंसधारियों से भिन्न हैं। प्रत्येक बोर्ड के आपूर्ति के अपने

स्वयं के नियम और शर्तें हैं. ऐसी ही एक शर्त प्रतिभूति जमा से संबंधित है। ऐसी जमा राशि बोर्ड दर बोर्ड अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा शर्त संख्या 28.1.1 के तहत अधिसूचित नियमों और शर्तों के तहत, उपभोक्ता को बोर्ड के पास अनुमानित तीन महीने के उपभोग शुल्क के बराबरनकद राशि जमा करनी होगी। राजस्थान के मामले में, प्रतिभूति एक महीने के नकद के रूप मे और बैंक या बीमा गारंटी के रूप में दो महीने के लिए होती है।

10. किसी उपभोक्ता को प्रतिभूति प्रदान करने का निर्देश देने की बोर्ड की शक्ति के पीछे विधायी मंजूरी की जांच की जा सकती है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि आपूर्ति अधिनियम बिजली अधिनियम, 1910 का पूरक है। आपूर्ति अधिनियम की धारा 26 में कहा गया है कि बोर्ड के पास बिजली अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी की सभी शक्तियां और दायित्व होंगे और इसे अधिनियम के प्रयोजन के लिए बोर्ड का लाइसेंस माना जाएगा। धारा 79(जे) सपठित धारा 49 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के तहत केवल उपभोक्ता ही हकदार है और बोर्ड का दायित्व है कि वह नियमों में निर्धारित नियमों और शर्तों पर उपभोक्ता को ऊर्जा की आपूर्ति करे। इसलिए, यदि नियमों ने एक प्रतिभूति जमा निर्धारित की है तो उसका अनुपालन करना होगा। इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि बिजली अधिनियम की अनुसूची II के खंड (6) के तहत पर्याप्त प्रतिभूति के साथ एक लिखित अनुबंध के विधिवत निष्पादित होने के बाद प्रावधान (ए) के तहत बोर्ड से ऊर्जा की आपूर्ति की मांग की सकती है। इस प्रकार, उपरोक्त विनियमों के अनुसार इसे कानूनी मंजूरी के साथ करना पर्याप्त होगा। ऐसे मामलों में जहां विनियम नहीं बनाए गए हैं, बिजली अधिनियम का नियम 27 आपूर्ति की मसौदा शर्तों के मॉडल स्वरूप को अपनाने में सक्षम बनाता है। खंड 14 के परिशिष्ट VI में कहा गया है कि लाइसेंसधारी किसी भी

उपभोक्ता को आपूर्ति की गई ऊर्जा के मासिक बिलों के भुगतान और उसके परिसर में स्थापित मीटर और अन्य उपकरण के मूल्य के प्रतिभूति जमा करने की मांग कर सकता है। इस प्रकार, बोर्ड के पास उपभोक्ताओं से प्रतिभूति की मांग करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है।

11.अगला प्रश्न यह होगा कि प्रतिभूति की मांग करने का उद्देश्य क्या है? यद्यपि जमा जिसे प्रतिभूति कहा जाता है, यह वास्तव में उपभोग शुल्क का एक समायोज्य अग्रिम भुगतान है। भुगतान, आपूर्ति की शर्तों की व्याख्या करने वाले समझौते के अनुसार है। यह प्रतिभूति शुल्क समय-समय पर किसी अवधि विशेष में वास्तविक खपत के औसत खपत के आधार पर पुनरीक्षण योग्य होती है। सभी बोर्डों के संदर्भ में ऊर्जा आपूर्ति की शर्तों के तहत यही स्थिति है।

12. बिजली की आपूर्ति के लिए बोर्ड को उत्पादन, आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति के लिए आवश्यक अन्य शुल्कों के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए यह विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण लेती है। यदि कोई पंजाब बिजली बोर्ड के लेन-देन पर नजर डाले तो यह सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां उपभोक्ताओं को अंतिम बिक्री के लिए पनबिजली के साथ-साथ थर्मल संयंत्रों के माध्यम से बिजली ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कुल उत्पादित बिजली का लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन जल बिजली संयंत्रों के माध्यम से होता है। शेष ऊर्जा ताप बिजली संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न होती है जो कोयले/तेल से संचालित होते हैं। पंजाब राज्य के भीतर सीमित जल संसाधनों के कारण थर्मल प्लांटों पर बिजली की निर्भरता बढ़ रही है। थर्मल प्लांटों के संचालन के लिए वर्तमान में प्रति वर्ष 52 लाख टन से अधिक कोयले की आवश्यकता है। इसके अलावा 60 हजार किलो लीटर फर्नेस ऑयल की जरूरत होती है। कोयला कंपनियां/ कोल इंडिया लिमिटेड प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं या बीएचईएल जैसे

बिजली संयंत्र के साथ मिलकर कोयले/स्पेयर/परियोजनाओं में सामग्री की अग्रिम लागत की मांग करता है। बोर्ड को भी केंद्रीय परियोजनाओं एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी. से उपभोक्ताओं की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बिजली खरीदने की आवश्यकता होती है। ऐसी बिजली की खरीद के लिए बोर्ड द्वारा दोबारा अग्रिम भुगतान किया जाता है। ऐसे अग्रिमों पर बोर्ड को ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। इसका असर यह है कि बोर्ड सालाना सैकड़ों करोड़ रुपये की देनदारी उठाने को बाध्य है. उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए बिजली उपलब्ध रखने हेतु शुल्क और जमा का भुगतान करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है।यह बोर्ड का मामला है कि उसने नेशनल थर्मल पावर और आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में अग्रिम जमा करके साख पत्र खोले हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने बोर्ड से कोयला कंपनियों/कोल इंडिया लिमिटेड के पक्ष में रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए भी कहा है। कोयले केवल साख पत्र की एवज़ में भेजा जाता है।

13. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, यह इस प्रकार है कि बिजली अधिनियम की योजना या आपूर्ति अधिनियम की अनुसूची VI के तहत यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि प्रतिभूति जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।

14. फेरो अलॉयज (सुप्रा) मामले में इन्हीं पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

15. जाहिर है, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने प्रतिभूति जमा पर भुगतान के प्रावधानों को हटाने की अनुमति के संबंध में इस न्यायालय की रेखांकित टिप्पणियों के प्रभाव पर विचार नहीं किया है, जैसा कि उक्त अनुच्छेद 158 में बताया गया है। इसका निर्णय प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर किया जाना है। एकल न्यायाधीश के आदेश में, जिसने एलपीए में चुनौती का विषय बनाया, एकल न्यायाधीश द्वारा कुछ तथ्यात्मक निष्कर्ष निकाले गए हैं। डिवीजन बेंच ने इस दृष्टिकोण की

स्वीकार्यता या अन्यथा पर विचार नहीं किया है और इस प्रकिया को अपनाने की अनुमति के लिए संबंधित रेखांकित भाग को नजरअंदाज करते हुए यह मानने के लिए कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, केवल अनुच्छेद 158 का उल्लेख किया है ।

16. उपर्युक्त परिस्थितियों में, हम प्रत्येक मामले में आक्षेपित निर्णय को रद्द करना और पैराग्राफ 158 में कही गई बातों के आलोक में मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में भेजना उचित समझते हैं, जहां तक तथ्यात्मक परिदृश्य में प्रतिभूति जमा पर ब्याज के भुगतान से संबंधित प्रावधान को हटाने की बोर्ड की शक्तियां का संबंध है । हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमने इस मामले के गुण-अवगुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।'

17. अपीलों का निपटारा उक्तानुसार बिना किसी ख़र्चे के आदेश के तदनुसार किया जाता है ।

डी.जी . अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रविबाला सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।